

DoR.No. DEA Fund Section S2912 /30.05.035/2022-23

August 4, 2022

The Principal,
Progressive Education Society's
Modern College of Arts, Science and Commerce
Ganeshkhind
Pashan Road, Pune
Maharashtra 411053

Dear Sir,

Application for registration with the Reserve Bank for grant of financial assistance from the Depositor Education and Awareness Fund

Please refer to your application dated January 30, 2021 for registering with Depositor Education and Awareness Fund to conduct awareness programmes on depositors' education and awareness with grant of financial assistance from the Depositor Education and Awareness Fund (the Fund).

2. In this connection, we are pleased to inform that Modern College of Arts, Science and Commerce (MCASC), Pune has been registered for getting financial assistance from the Fund to conduct awareness programmes. The Registration number allotted to your organization is 30.05.035.


3. The awareness programmes are intended to make both the existing and potential customers of the banks financially more literate, particularly with respect to various aspects of keeping deposits in the bank. This, along with other aspects of banking that are to be covered in the awareness programmes, will help bring them into the fold of formal banking channels.

4. We further advise that the awareness programmes have to be conducted under certain codified rules (enclosed at Annex-I) as per module provided by Reserve Bank of India (enclosed as Annex-II). You are advised to forward to us a letter conveying your acceptance of the codified rules for conducting programmes under DEA Fund Scheme, not later than 07 days from the date of receipt of this letter.

5. It may be noted that the activity of the applicant shall be monitored, post-registration. If the activities of the registered applicant funded by the Fund are not in conformity

with the activities permitted by the Reserve Bank or the rules framed for this purpose, Reserve Bank will deregister the applicant and take such action as it deems fit in the interest of the Fund, including legal action, if considered necessary.

Yours faithfully



(Jyotsna Chikhale)
Assistant General Manager

Encls: as above

विवि.सं.डीईए निधि अनु. S2912 /30.05.035/2022-23

04 अगस्त 2022

प्रधानाचार्य
प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी
मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स
गणेशखिंड
पाशन रोड, पुणे
महाराष्ट्र 411053

महोदय,

जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु रिज़र्व बैंक में पंजीकरण हेतु आवेदन

कृपया जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) से वित्तीय सहायता के अनुदान के साथ जमाकर्ताओं की शिक्षा और जागरूकता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में पंजीकरण के संबंध में दिनांक 30 जनवरी 2021 का अपना आवेदन देखें।

2. इस संबंध में, हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स (एमसीएएससी), पुणे को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया है। आपके संगठन को आवंटित पंजीकरण संख्या 30.05.035 है।

3. जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य बैंकों के मौजूदा और संभावित दोनों ग्राहकों को वित्तीय रूप से, विशेष रूप से बैंक में जमा रखने के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अधिकाधिक साक्षर बनाना है। बैंकिंग के अन्य पहलुओं के साथ, जिन्हें जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल किया जाना है, उन्हें यह औपचारिक बैंकिंग चैनलों के दायरे में लाने में मदद करेगा।

4. हम यह भी सूचित करते हैं कि जागरूकता कार्यक्रम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए मॉड्यूल (अनुबंध-II के रूप में संलग्न) के अनुसार कुछ संहिताबद्ध नियमों (अनुबंध-I में संलग्न) के तहत आयोजित किए जाने चाहिए। आपको सूचित किया जाता है कि इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 07 दिनों के भीतर डीईए निधि योजना के तहत कार्यक्रमों के संचालन के लिए संहिताबद्ध नियमों की आपकी स्वीकृति के बारे में हमें एक पत्र अग्रेषित करें।

5. यह ध्यान दिया जाए कि पंजीकरण के बाद आवेदक की गतिविधि की निगरानी की जाएगी। यदि निधि द्वारा वित्त पोषित पंजीकृत आवेदक की गतिविधियाँ रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत गतिविधियों या इस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं हैं, तो रिज़र्व बैंक आवेदक को अपंजीकृत कर देगा और कानूनी कार्रवाई सहित यदि, आवश्यक समझा जाए ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो निधि के हित में उचित होगा।

भवदीया,

ज्यो० चिरवले

(ज्योत्स्ना चिखले)
सहायक महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त